

उत्तर प्रदेश में विमुक्त जनजाति की महिलाओं की स्थिति

डॉ० सौम्या शंकर¹, मधु मिश्रा²

¹असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग), डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्व विद्यालय, लखनऊ (उ०प्र०) भारत

²शोध छात्रा (समाजशास्त्र विभाग), डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्व विद्यालय, लखनऊ (उ०प्र०) भारत

¹Email: - saumya_shanker@yahoo.com, ²Email: madhumishra8584@gmail.com



Received 10 August 2026

Accepted 15 August 2026

Published 30 August 2026

Corresponding Author:

डॉ० सौम्या शंकर

Email: saumya_shanker@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.64880/ijeagr.v1i3.17>

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

सारांश:

विमुक्त जनजातियाँ भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग है, जो ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से लंबे समय से उपेक्षा एवं वंचन का सामना करता रहा है प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उ०प्र० की विमुक्त जनजाति महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किये गये जबकि द्वितीयक आँकड़े पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों तथा जनगणना संबंधी दस्तावेजों से प्राप्त किये गये हैं।

अध्ययन से ज्ञात हुआ अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा उनकी आजीविका दिहाड़ी मजदूरी एवं कृषि कार्य पर निर्भर है। शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न पाया गया तथा अधिकांश महिलाएं निरक्षर या प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा हैं। सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सरकारी योजनाओं की अपर्याप्त पहुँच उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। यद्यपि कुछ महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है फिर भी जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

मुख्य शब्द: विमुक्त जनजाति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, उत्तर प्रदेश, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना:

भारतीय समाज विविध जातियों, जनजातियों तथा सांस्कृतिक समूहों से मिलकर बना है इनमें विमुक्त जनजातियाँ एक ऐसा समुदाय है जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक उपेक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन तथा भेदभाव का सामना करता रहा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के

बद इन समुदायों को इस श्रेणी से मुक्त कर दिया गया, इस लिए इन्हें “विमुक्त जनजातियाँ” कहा जाता है। यद्यपि कानूनी रूप से इन पर लगा कलंक समाप्त हो गया, फिर भी सामाजिक स्तर पर भेदभाव और वचना आज भी अनेक क्षेत्रों में विद्यमान है। उत्तर प्रदेश से विमुक्त जनजातियों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता तथा सरकारी योजनाओं तक सीमित

पहुँच उनके विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र कार्य में कार्य करती तथा उनकी आय अनियमित और सीमित होती है। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण वे अपने अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाती हैं। महिला सशक्तिकरण किसी भी समाज के समग्र विकास का महत्वपूर्ण आधार है। यदि विमुक्त जनजाति महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदार प्राप्त हो, तो उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

शोध के उद्देश्यक

- 1- उत्तर प्रदेश की विमुक्त जनजाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
- 2- विमुक्त जनजाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं आजीविका में प्रमुख स्रोतों का विश्लेषण करना।
- 3- विमुक्त जनजाति महिलाओं की शैक्षिक स्थिति तथा शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- 4- विमुक्त जनजाति महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करना।
- 5- विमुक्त जनजाति महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक भेदभाव हिंसा एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करना।
- 6- विमुक्त जनजाति महिलाओं को प्राप्त सरकारी योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुँच एवं प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- 7- विमुक्त जनजाति महिलाओं के समग्र विकास एक सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त भाव प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा

विमुक्त जनजातियों पर उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि ये समुदाय ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। औपनिवेशिक काल में अनेक घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को अपराधी जनजाति घोषित किए जाने के कारण इनके प्रति सामाजिक कलंक और भेदभाव की भावना विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद इन समुदायों को कानूनी रूप से विमुक्त कर दिया गया, किंतु सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं।

रेणुके आयोग (2008), ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आयोग ने इन समुदायों के समग्र विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित करने की अनुसंधान की।

अनुजा अग्रवाल (2018), ने अपने अध्ययन में विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति महिलाओं के जीवन में लैंगिक असमानता, सामाजिक बहिष्करण और आर्थिक असुरक्षा को प्रमुख समस्याओं के रूप में रेखांकित किया। अध्ययन के अनुसार शिक्षा और सामाजिक जागरूकता महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दीपा पवार (2022), ने महाराष्ट्र की विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों पर अध्ययन करते हुए पाया कि स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अनीता क्रिस्टीन टिफैग्ने (2015), ने कल ओड्डार समुदाय की महिलाओं पर किए गए अध्ययन में बताया कि सामाजिक कलंक, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक अभाव महिलाओं के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं।

शोध पद्धति

यह शोध वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है, प्राथमिक आँकड़े के लिए जिला लखीमपुर खीरी के गाँव देवकली व आस-पास के गांवों की महिलाओं का प्रत्यक्ष रूप से आँकड़ा एकत्रित किया गया।

शोध अभिकल्प: यह अध्ययन वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है।

प्रति चयन व प्रतिचयन की तकनीकी: महिलाओं का यादृच्छिक 25 नमूना तकनीकी द्वारा किया गया है।

शोध के उपकरण: प्रश्नावली व साक्षात्कार, अवलोकन

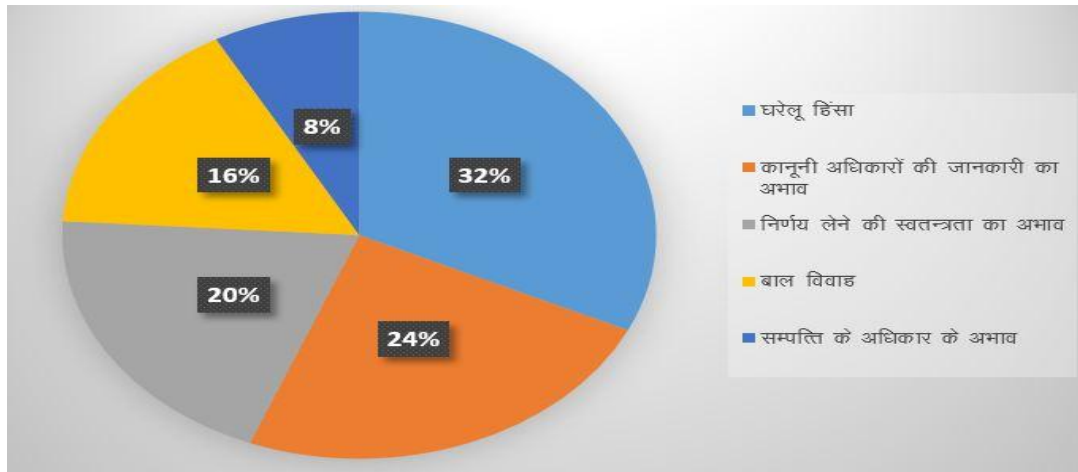
आँकड़ा संग्रह प्रक्रिया: प्राथमिक आँकड़े लखीमपुर खीरी जिले के देवकली गांव व आस पास की महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष की है।

सांख्यिकी तकनीकी: प्रतिशत, सारणी, ग्राफ, पाई चार्ट का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या

सामाजिक स्थिति:-

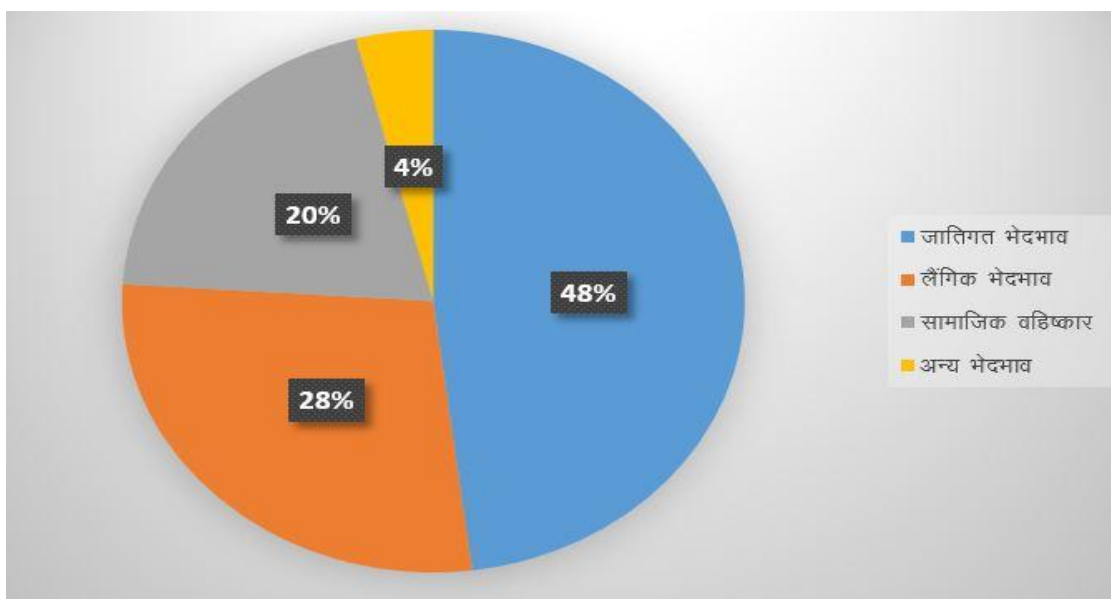
पाई चार्ट-1 महिला अधिकार एवं सुरक्षा की प्रमुख समस्याएं (n = 25)



व्याख्या- अध्ययन में 25 महिलाओं में से 32% घरेलू हिंसा को सबसे बड़ी समस्या बताया, 24% महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव, 20% ने निर्णय लेने की स्वतन्त्रता का अभाव, 16% ने बाल विवाह तथा 8% ने सम्पत्ति के अधिकार के अभाव को प्रमुख समस्या बताया।

इससे स्पष्ट होता है कि विमुक्त जनजाति महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है।

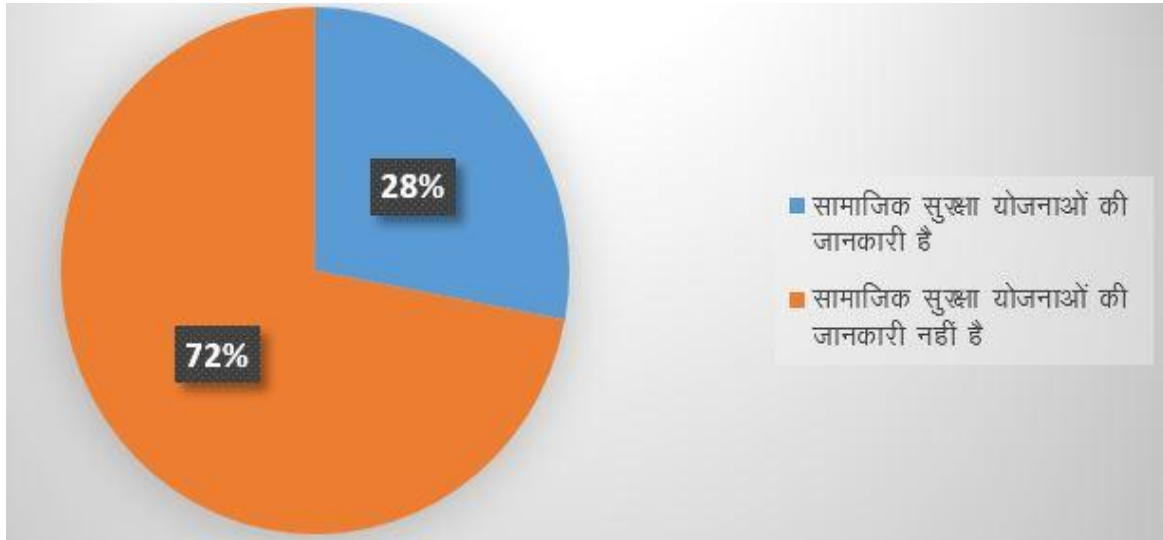
पाई चार्ट-2: सामाजिक भेदभाव के प्रकार (n = 25)



व्याख्या- 25 महिलाओं में से 12 (48%) ने जातिगत भेदभाव, 7 (28%) लैंगिक भेदभाव तथा 5 (20%) ने सामाजिक वहिष्कार का अनुभव किया, 1 (4%) महिलाओं ने अन्य भेदभाव की बात की।

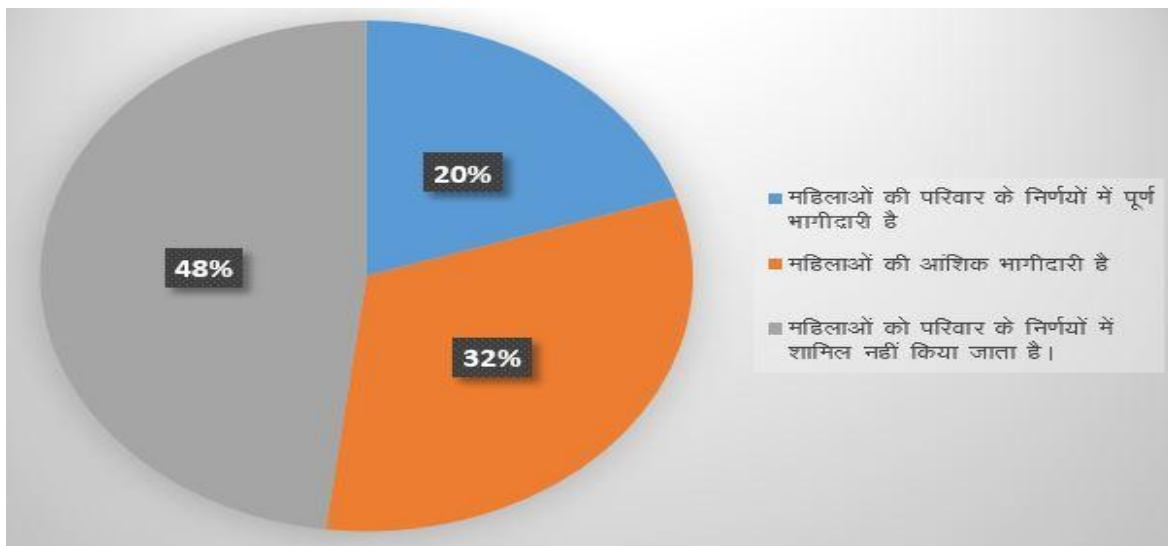
इससे स्पष्ट होता है कि इन जाति की महिलाओं को सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके सामाजिक समावेशन एवं विकास को प्रभावित करता है।

पाई चार्ट-3: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी (n = 25)



व्याख्या- केवल 7 (28%) महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी है, जबकि 18 (72%) महिलाएं इन योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और जागरूकता कार्यक्रमों को समुदाय स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

पाई चार्ट-4: परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी (n = 25)



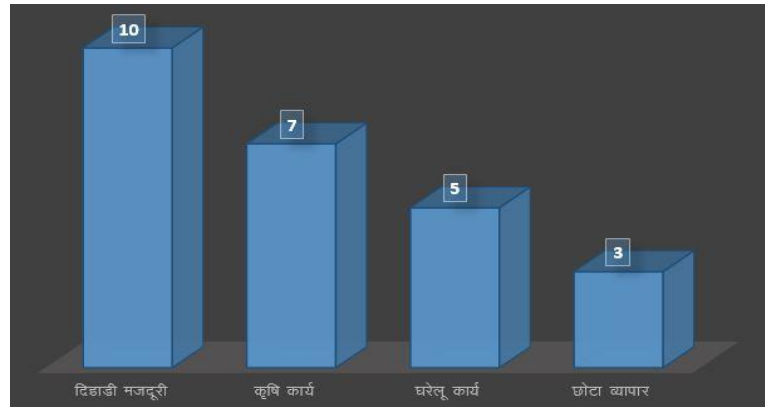
व्याख्या- 20% महिलाओं की परिवार के निर्णयों में पूर्ण भागीदारी है, जबकि 32% महिलाओं की आंशिक भागीदारी है। इसके विपरीत 48% महिलाओं ने बताया कि उन्हें परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता है।

यह स्थिति महिलाओं की सीमित निर्णय क्षमता और सामाजिक सशक्तिकरण को दर्शाता है।

अर्थिक स्थिति:-

मुख्य व्यवसाय:

ग्राफ 1:- 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं के प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित-



व्याख्या: -

अध्ययन में शामिल 25 महिलाओं में से 10 (40 प्रतिशत) महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी, 7 (28 प्रतिशत) महिलाएं कृषि कार्य, 5 (20 प्रतिशत) महिलाएं घरेलू कार्य तथा 3 (12 प्रतिशत) महिलाएं छोटा व्यापार से अपनी जीविका अर्जित करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनकी आय का प्रमुख स्रोत दिहाड़ी मजदूरी है।

आवास की स्थिति

सारणी-1:- 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं के प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

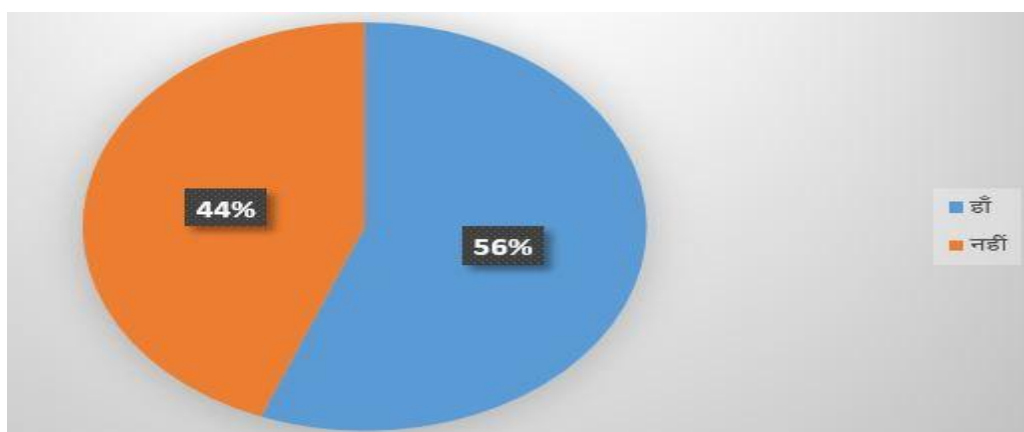
क्र० संख्या	आवास की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	कच्चा मकान	15	60%
2.	अर्द्ध-पक्का मकान	7	28%
3.	पक्का मकान	3	12%
कुल		25	100%

सारणी की व्याख्या:-

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में शामिल 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं में से 15 (60 प्रतिशत) महिलाएं कच्चे मकानों में निवास करती हैं, 7 (28 प्रतिशत) महिलाएं अर्द्ध-पक्के मकानों में तथा 3 (12 प्रतिशत) महिलाएं पक्के मकानों में रहती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति संतोषजनक नहीं है, जो उनकी कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को दर्शाती है।

सरकारी योजनाओं का लाभ:-

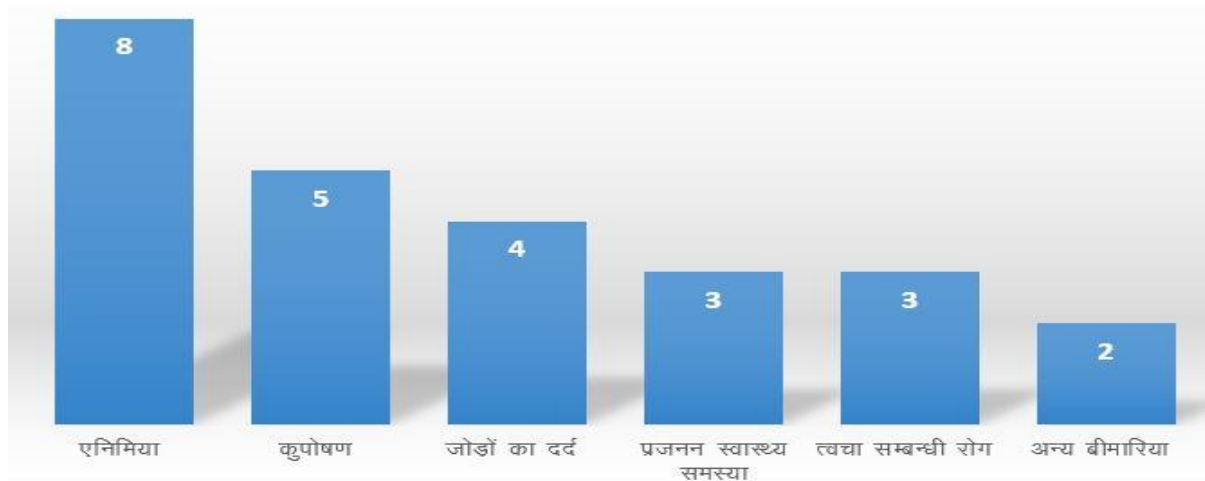
पाई चार्ट-1:- 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं के प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित-



व्याख्या:-

अध्ययन में शामिल 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं में से 14 महिलाएं (56 प्रतिशत) किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रही थीं, जबकि 11 महिलाएं (44 प्रतिशत) को किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुधार की आवश्यकता है, ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सके।

ग्राफ-1 विमुक्त महिलाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं (n = 25)

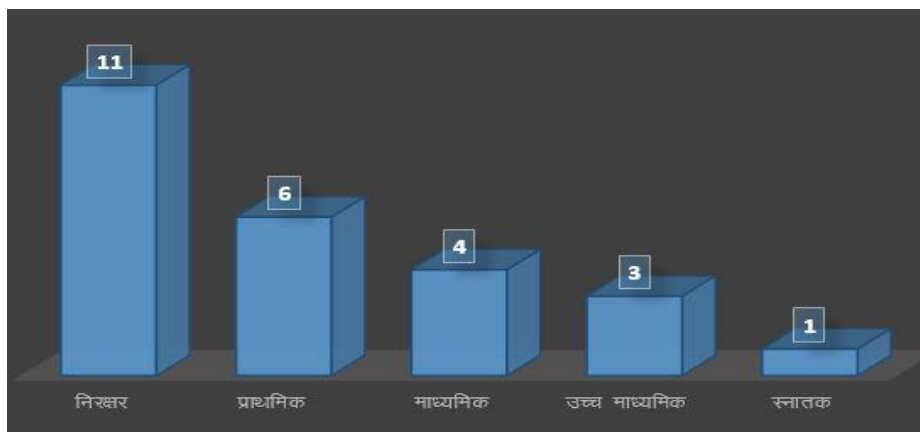


व्याख्या- अध्ययन में सम्मिलित 25 महिलाओं में से सबसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्या एनिमिया 8 (32%) पायी गयी, इसके अतिरिक्त कुपोषण 5 (20%), कमर व जोड़ों का दर्द 4 (16%) प्रजनन स्वास्थ्य समस्या 3 (12%) तथा त्वचा सम्बन्धी रोग 3 (12%), अन्य बीमारिया 2 (8%) प्रमुख रूप से सामने आये हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि विमुक्त जाति महिलाओं में पोषण, मातृ स्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सधार की आवश्यकता है।

शिक्षा का स्तर

ग्राफ-1



व्याख्या:-

अध्ययन में शामिल 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं में से 11 महिलाएं (44 प्रतिशत) निरक्षर हैं। 6 महिलाएं (24 प्रतिशत) प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। 4 महिलाएं (16 प्रतिशत) माध्यमिक, 3 महिलाएं (12 प्रतिशत) उच्च माध्यमिक तथा केवल 1 महिला (4 प्रतिशत) स्नातक स्तर तक शिक्षित है। इससे स्पष्ट होता है कि विमुक्त जनजाति महिलाओं में शिक्षा का स्तर अभी भी भिन्न है, जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक प्रमुख बाधा है।

सुझाव

- विमुक्त जनजाति महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा तथा विशेष आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया जाए।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजनाएं तथा स्वयं सहाता समूहों को प्रोत्साहित किया जाए।
- सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक पात्र महिला तक पहुँचाने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
- घरेलू हिंसा, सामाजिक भेदभाव एवं लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर एवं महिला सहायता केन्द्रों की स्थापना की जाए।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा पोषण सेवाओं की पहुँच दूरस्थ क्षेत्रों तक सुनिश्चित की जाए।
- बाल विवाह, अशिक्षा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं।
- विमुक्त जनजाति महिलाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, लघु उद्योग तथा सूक्ष्म वित्त योजनाओं का विस्तार किया जाए, जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके।
- विमुक्त जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति पर नियमित सर्वेक्षण एवं शोध को बढ़ावा दिया जाए, ताकि साक्ष्य-आधारित नीतियाँ बनाई जा सकें।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में 25 विमुक्त जनजाति महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न पाया गया, जहाँ लगभग आधी महिलाएं निरक्षर हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इससे रोजगार के अवसर और सामाजिक जागरूकता दोनों सीमित हो जाते हैं।

आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अधिकांश परिवार दिहाड़ी मजदूरी तथा कृषि कार्य पर निर्भर है। नियमित आय के अभाव के कारण परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक दृष्टि से बड़ी संख्या में महिलाओं न सामाजिक भेदभाव का अनुभव होने की बात कही। परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है तथा घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं भी कुछ परिवारों में विद्यमान हैं। यद्यपि कई महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, फिर भी पात्र महिलाओं तक योजनाओं का प्रभाव नहीं पहुँच पा रहा है।

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि राशन कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं को प्राप्त हुआ, जबकि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ सीमित महिलाओं तक ही पहुँचा। इससे सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सूचना के प्रसार तथा पात्र लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल मिलता है।

राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी के क्षेत्र में भी महिलाओं की सक्रिय सहभागिता अपेक्षाकृत कम पाई गई। अधिकांश महिलाएँ पंचायत, स्थानीय संस्थाओं तथा सामुदायिक नेतृत्व में सीमित भूमिका निभाती हैं। साथ ही महिला अधिकारों, विधिक प्रावधानों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में जागरूकता का स्तर भी संतोषजनक नहीं पाया गया।

समग्र रूप से अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि उत्तर प्रदेश की विमुक्त जनजाति महिलाओं के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्थायी रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों तथा समुदाय के समन्वित प्रयासों से ही विमुक्त जनजाति महिलाओं की जीवन-स्थितियों में स्थायी एवं सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह अध्ययन भविष्य में विमुक्त जनजातियों से संबंधित नीतियों, योजनाओं एवं समाजशास्त्रीय अनुसंधानों के लिए भी उपयोगी आधार प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

- 1- रेंके आयोग (2008). विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
- 2- इदाते आयोग (2018). विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
- 3- अग्रवाल, अनुजा। (2018). महाराष्ट्र की विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर अध्ययन। एंटयालजा: इंडियन जर्नल ऑफ सोशल चेंज, 3(2), 147-162
- 4- पवार, दीपा। (2022). महाराष्ट्र की विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों पर अध्ययन। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स, 29 (2)
- 5- टिपेन, अनीता क्रिस्टीन। (2015). काल ओडर समुदाय की महिलाओं पर सामाजिक कलंक, लैंगिक भेदभाव एवं आर्थिक अभाव का अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज़, 22(3), 458-469.
- 6- मिश्रा, अपर्णा। (2008). भारत की अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं की स्थिति. द जर्नल ऑफ सोशियो-इकोनॉमिक्स, 37(3), 1202-1217।
- 7- पूजाश्री चटर्जी, (2014). भारत में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति: चुनौतियाँ एवं भविष्य की दिशा. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़, 2(2), 55-60।
- 8- भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, (2011). भारत की जनगणना 2010: अनुसूचित जनजातियों का प्राथमिक जनगणना सार. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- 9- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, (2023). क्राइम इन इंडिया 2022. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- 10- योजना आयोग, (2008). विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातियों की विकास संबंधी चुनौतियाँ. नई दिल्ली: भारत सरकार।

शोध-पत्र

- 1- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (2019)- भारत में जनजातीय महिलाओं की स्थिति: सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संदर्भ में अध्ययन
- 2- जितेन्द्र कुमार प्रेमी (2016)- छत्तीसगढ़ी की पारधी एवं गोंड जनजातियों में जनजातीय महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
- 3- ज्योतिर्मयी महापात्र (2020)- जनजातीय बालिकाओं एवं महिलाओं में साक्षरता: एक अवलोकन।
- 4- प्रज्ञा रक्षित (2020)- भारत की जनजातीय महिलाएं: अंतरराष्ट्रीय संरक्षण का तुलनात्मक अध्ययन

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.